



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0

आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 185/XXXVI(3)/2014/42(1)/2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2014” पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2014-15 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2014**(अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2014)**

31 मार्च, 2015 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित—

- | | |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम | 1— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2014-2015 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2014 है। |
| उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2014-15 के लिये रु0 38189288000 का दिया जाना | 2— ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों, जिनका कुल योग रु0 38189288000 (रुपया तीन हजार आठ सौ अठ्ठावह करोड़ बयानवे लाख अठ्ठासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो। |
| विनियोग | 3— इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं। |

अनुपूरक आय-व्ययक 2014-2015

(घनराशि हजार रुपये में)

अनुदान	विभाग का नाम	श्रेणी	अनुपूरक आय-व्ययक 2014-2015		
			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
01-	विधान सभा	राजस्व	8500	0	8500
		पूँजी	0	250000	250000
03-	मन्त्रिपरिषद	राजस्व	24821	0	24821
		पूँजी	0	0	0
04-	न्याय प्रशासन	राजस्व	14905	0	14905
		पूँजी	0	0	0
05-	निर्वाचन	राजस्व	32235	0	32235
		पूँजी	0	0	0
06-	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	13525	364585	378110
		पूँजी	0	0	0
07-	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	175411	0	175411
		पूँजी	0	0	0
10-	पुलिस एवं जेल	राजस्व	72500	0	72500
		पूँजी	0	210000	210000
11-	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	489540	2220635	2710175
		पूँजी	0	2072737	2072737
12-	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	34385	3393270	3427655
		पूँजी	0	11600	11600
13-	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	0	1959000	1959000
		पूँजी	0	50000	50000
14-	सूचना	राजस्व	5799	1864	7663
		पूँजी	0	0	0
15-	कल्याण योजनायें	राजस्व	123371	1028765	1152136
		पूँजी	0	11460	11460
16-	श्रम और रोजगार	राजस्व	0	35230	35230
		पूँजी	0	500000	500000
17-	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	210232	172442	382674
		पूँजी	0	30000	30000
19-	ग्राम्य विकास	राजस्व	182081	4361005	4543086
		पूँजी	0	5635000	5635000
20-	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2092	500	2592
		पूँजी	0	200000	200000
21-	ऊर्जा	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	4	4

अनुपूरक आय-व्ययक 2014-2015

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान	विभाग का नाम	श्रेणी	अनुपूरक आय-व्ययक 2014-2015		
			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
22-	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	50002	20000	70002
		पूँजी	0	4080000	4080000
23-	उद्योग	राजस्व	9598	10000	19598
		पूँजी	0	241000	241000
24-	परिवहन	राजस्व	0	1000	1000
		पूँजी	250000	2815	252815
25-	खाद्य	राजस्व	2000705	0	2000705
		पूँजी	0	10000	10000
26-	पर्यटन	राजस्व	0	50000	50000
		पूँजी	0	1868107	1868107
27-	वन	राजस्व	345800	354018	699818
		पूँजी	0	250002	250002
28-	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	0	207082	207082
		पूँजी	0	7351	7351
29-	औद्योगिक विकास	राजस्व	0	535450	535450
		पूँजी	0	0	0
30-	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	0	2707258	2707258
		पूँजी	0	387576	387576
31-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	353	783677	784030
		पूँजी	0	120000	120000
	योग-	राजस्व	3795855	18205781	22001636
		पूँजी	250000	15937652	16187652
	महायोग		4045855	34143433	38189288

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,

प्रमुख सचिव।